समक्ष: *एम. रामा जोइस और* जे. *एल. गुप्ता,* न्यायमूर्ति

सोहन लाल,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,,-उत्तरदाता।

1992 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 5971

27 मई, 1992

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 और 227-हरियाणा खाद्य और आपूर्ति विभाग उप अधिकारी (समूह सी) सेवा नियम 1982-नियम 11-क्या याचिकाकर्ता द्वारा सिविल सेवा में अपनी नियमित नियुक्ति से पहले तदर्थ आधार पर प्रदान की गई सेवाओं को वरिष्ठता के उद्देश्य से गिना जाता है- ये अभिनिर्धारित किया गया है कि तदर्थ सेवा को वरिष्ठता के उद्देश्यों तदर्थ नहीं गिना जाता है।

ये अभिनिर्धारित किया गया है कि "सेवा सदस्य" पद का वरिष्ठता के संबंध में एक विशेष अर्थ है, नियमों के नियम 11 के अनुसार, यह प्रावधान है कि सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता का निर्धारण सेवा में किसी भी पद पर निरंतर सेवा की अवधि से किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह नियमित आधार पर या तो पदोन्नति द्वारा या किसी विशेष संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की वरिष्ठता को नियंत्रित करता है।

(अनुच्छेद 4)

अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि तदर्थ आधार पर प्रदान की गई सेवा को वरिष्ठता तदर्थ नहीं गिना जाएगा। मसूद अख्तर खान के मामले में पहले व्यक्त किए गए इसी तरह के विचार को पैराग्राफ 6 में दोहराया गया है। यह उच्चतम न्यायालय का नवीनतम निर्णय है जो इस मुद्दे पर कानून की घोषणा करता है, जिसका हमें पालन करना होगा। यह अनुपात नियमों के नियम 11 की व्याख्या पर स्पष्ट रूप से लागू होता है।

(अनुच्छेद 5)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसलिए, उपरोक्त कारणों से, हम नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देते हैं:

"सिविल सेवा में कैडर में उनकी नियमित नियुक्ति से पहले किसी व्यक्ति द्वारा तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को वरिष्ठता तदर्थ नहीं गिना जाता है।"

याचिकाकर्ता की ओर से *अधिवक्ता ए. एस. तेवतिया।*
जगदेव शर्मा, एडिशनल ए. जी. हरियाणा, प्रतिवादी *के लिए।*

निर्णय

मंडगड़डा रामा जोइस, न्यायमूर्ति

(1) इस रिट याचिका में, विचार के लिए कानून का निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होता है:—

"क्या सिविल सेवा में कैडर में अपनी नियमित *नियुक्ति से* पहले किसी व्यक्ति द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदान की गई सेवाएं वरिष्ठता के उद्देश्यों तदर्थ मानी जाती हैं?"

2. कानून के उपरोक्त प्रश्न को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य ये हैं। याचिकाकर्ता को 16 अप्रैल, 1969 को हरियाणा राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग में तदर्थ आधार पर उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।मूल *रूप से* यह केवल छह महीने की अवधि के लिए था।इसके बाद उन्हें समय-समय पर 27 जून, 1972 तक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई।फिर से उन्हें 5 अप्रैल, 1973 को निदेशक द्वारा दिए *गए एक* आदेश द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया और वे 30 सितंबर, 1973 तक बने रहे।18 अप्रैल, 1974 को उन्हें नियमित रूप से इस पद पर नियुक्त किया गया था। जैसा कि पैराग्राफ 2 में कहा गया है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में वह योग्यता के अनुसार व्यवस्थित 115 उम्मीदवारों में से क्रम संख्या 96 पर थे। इस रिट याचिका अन्य बातों के साथ साथ, वह *वरिष्ठता* के उद्देश्य से अपनी पिछली तदर्थ सेवा *को गिनने* तदर्थ *प्रतिवादी तदर्थ* अनिवार्य रिट की परमादेश करता है।इन परिस्थितियों में, विचार के लिए प्रश्न उत्पन्न होता है।

3. सबसे पहले, हम वरिष्ठता के निर्धारण को विनियमित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लेख करना चाहते हैं। नियम हरियाणा खाद्य और आपूर्ति विभाग उप-अधिकारी (समूह सी) सेवा नियम, 1982 (इसके बाद नियम कहा जाता है) हैं। नियम 11 वरिष्ठता प्रदान करने वाला प्रासंगिक नियम है। इसमें लिखा हैः —

> "सेवा *के सदस्यों* के बीच वरिष्ठता का निर्धारण सेवा में किसी भी पद पर निरंतर सेवा की अवधि से किया जाएगाः
>
> बशर्ते कि जहां सेवा में अलग-अलग संवर्ग हैं, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए वरिष्ठता अलग-अलग निर्धारित की जाएगीः
>
> बशर्ते कि नियुक्त सदस्यों के मामले में।प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा, उस बोर्ड द्वारा निर्धारित योग्यता का क्रम वरिष्ठता निर्धारित आदेश में बाधित नहीं होगाः बशर्ते कि एक ही तिथि पर नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों के मामले में उनकी वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगीः—
>
> (a) प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या

पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा, स्थानांतरण द्वारा;

(b) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा।

(c) पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में वरिष्ठता का निर्धारण उन नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की वरिष्ठता के अनुसार किया जाएगा जिनसे उन्हें पदोन्नत या स्थानांतरित किया गया था; और

(d) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उस सदस्य को दी जा रही वेतन वरीयता के अनुसार किया जाएगा जो अपनी पिछली नियुक्ति में उच्च वेतन दर प्राप्त कर रहा था, और यदि प्राप्त वेतन की दरें भी समान हैं, तो नियुक्ति में सेवा की अवधि से और यदि सेवा की अवधि भी समान है तो बड़ा सदस्य युवा सदस्य से वरिष्ठ होगा।"

उपरोक्त नियम के अनुसार, सेवा के सदस्य की वरिष्ठता को सेवा में किसी भी पद पर निरंतर सेवा की अवधि से गिना जाना चाहिए। दूसरे परंतुक के अनुसार, प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य के मामले में, बोर्ड द्वारा निर्धारित योग्यता को वरिष्ठता तय करने में बाधित नहीं किया जाएगा।

"सेवा का[1] सदस्य" शब्द का वरिष्ठता के संबंध में एक विशेष अर्थ है, नियमों के नियम (ई) 11 के अनुसार, सेवा के सदस्यों *की वरिष्ठता* का निर्धारण सेवा *में किसी भी पद* पर निरंतर सेवा की अवधि से किया जाएगा। इसका अर्थ है कि यह किसी विशेष संवर्ग में या तो 7 वीं पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा विनियमित आधार पर नियुक्त सदस्यों की वरिष्ठता को विनियमित करता है। इसके अलावा, जहां तक इस मामले का संबंध है, दूसरा परंतुक याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किए गए तर्क का पूरा जवाब है। उस परंतुक के अनुसार प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, बोर्ड द्वारा निर्धारित योग्यता के क्रम को वरिष्ठता तय आदेश में बाधित नहीं किया जाएगा। जहाँ तक याचिकाकर्ता की वरिष्ठता का संबंध है, यह चयन सूची तैयार करते समय चयन बोर्ड द्वारा व्यवस्थित योग्यता के आदेश द्वारा तय किया जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है, चयन सूची में शामिल 115 उम्मीदवारों में से याचिकाकर्ता क्रम संख्या 96 पर है। इसलिए, याचिकाकर्ता का यह दावा कि उसकी वरिष्ठता

निर्धारित करने के उद्देश्यों तदर्थ उसकी तदर्थ सेवा को जोड़ा जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से *असमर्थनीय है। हालाँकि,* याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में जी. पी. डोभाल बनाम मुख्य सचिव , टी. जे. पी. सरकार (1) और दिल्ली जल आपूर्ति और सीवेज निपटान समिति बनाम आर. के. *कश्यप* (2) *में उच्चतम न्यायालय के फैसले* पर भरोसा *किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त* निर्णयों में *इस आशय* की टिप्पणियां हैं कि तदर्थ सेवा को वरिष्ठता के उद्देश्यों तदर्थ गिना जाना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामले *पर विचार* नहीं कर रहा था। जो वर्तमान जैसे विशिष्ट वैधानिक नियमों के दायरे में आता हो जो याचिकाकर्ता की वरिष्ठता के निर्धारण को नियंत्रित करता है।अतः उक्त *दो* निर्णयों का अनुपात याचिकाकर्ता के लिए कोई सहायक नहीं है।

(4) हालाँकि, हरियाणा के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भारत संघ बनाम एस. के. शर्मा *(3) में उच्चतम* न्यायालय *के फैसले पर* भरोसा किया। निर्णय के प्रासंगिक भाग पैराग्राफ 5 और 6 हैं। वे पढ़ते हैं:—

> "हमारे विचार में न्यायाधिकरण ने वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रोफेसर (वरिष्ठ स्तर) के पद पर *तदर्थ नियुक्ति* की अवधि के लिए प्रतिवादी को वरिष्ठता प्रदान करने में पूरी तरह से गलत था और नरेंद्र चड्ढा के मामले (उपरोक्त) *के* अनुपात *को गलत तरीके* से लागू किया। प्रतिवादी को नियमित रूप से प्रोफेसर (जूनियर स्केल) के रूप में चुना जाता था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग में उतदर्थोक्त पद खाली नहीं था, उसे प्रोफेसर (पी.जी. *कोर्स)* के पद के खिलाफ और बाद में प्रोफेसर (सीनियर स्केल) के *पद के* खिलाफ समायोजित किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधिकरण ने पहले के

आवेदन सं. 1986 के टी-159 ने 12 जून, 1986 के आदेश द्वारा प्रोफेसर (वरिष्ठ स्केल) के पद के लिए 28 जून, 1969 से 29 सितंबर, 1973 की अवधि के लिए वेतन और भत्तों अवशिष्ट की अनुमति दी थी, लेकिन न्यायाधिकरण द्वारा इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि प्रतिवादी ने वास्तव में प्रोफेसर (वरिष्ठ स्केल) के पद के खिलाफ काम किया *था, हालांकि* तदर्थ आधार पर वेतन और **भत्ते** देने वाला न्यायाधिकरण का ऐसा आदेश प्रतिवादी को प्रोफेसर (वरिष्ठ स्तर) के पद पर भी वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है। तदर्थ आधार पर प्रोफेसर (वरिष्ठ स्तर) के पद पर प्रतिवादी की निरंतरता तदर्थ यू.पी.एस.सी. की *मंजूरी केवल* वेतन और भत्ते देने के उद्देश्य से थी और इसे प्रोफेसर (वरिष्ठ स्तर) के पद पर प्रतिवादी की नियमित नियुक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिवादी को 28 जून को नियमित आधार पर प्रोफेसर (जूनियर स्केल) के पद के लिए चुना गया था।1969 और मौजूदा नियमों के अनुसार प्रोफेसर (जूनियर स्केल) के पद पर नियमित आधार पर तीन साल की सेवा पदोन्नति के लिए आवश्यक थी प्रोफेसर (वरिष्ठ स्केल) का पद। इस प्रकार प्रतिवादी 28 जून, 1972 से पहले प्रोफेसर (सीनियर स्केल) के पद पर पदोन्नति के लिए भी पात्र नहीं था, जब तक कि वह प्रोफेसर (जूनियर स्केल) के पद पर तीन साल की सेवा पूरी नहीं कर लेता था।इस आधार को ध्यान में रखते हुए भी प्रतिवादी 28 सितंबर, 1969 से प्रोफेसर (वरिष्ठ स्तर) के पद पर किसी भी वरिष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं *था।* *नरेंद्र चड्ढा* का मामला (ऊपर) प्रतिवादी *को कोई सहायता* नहीं देता है और न्यायाधिकरण नरेंद्र चड्ढा के

मामले के अनुपात को वर्तमान मामले में लागू करने में गलत *था । इस* न्यायालय *ने नरेंद्र* चड्ढा के मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि व्यक्तियों को उचित *विचार-विमर्श के साथ* 15 से 20 वर्षों तक उच्च पदों पर कार्य करने की अनुमति दी गई है, यह अभिनिर्धारित करना अन्यायपूर्ण होगा कि ऐसे पदों पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को अनौपचारिक रूप से वापस किया जा सकता है या ऐसे व्यक्तियों के रूप में माना जा सकता है जो सेवा से संबंधित नहीं हैं, विशेष रूप से जहां सरकार को अन्यायपूर्ण परिणामों से बचने के लिए नियमों में ढील देने की शक्ति प्राप्त है।"

"मसूद *अख्तर खान और अन्य बनाम* मध्य *प्रदेश राज्य और अन्य (4) में* यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि प्रारंभिक नियुक्ति नियमों के अनुसार नहीं की जाती है, तो उसकी सेवा के बाद के नियमितीकरण से किसी कर्मचारी को वरिष्ठता के लिए हस्तक्षेप सेवा का लाभ नहीं मिलता है। वरिष्ठता को नियमित नियुक्ति की तारीख से गिना जाना चाहिए और किसी भी अंतराल नियुक्ति की तारीख से नहीं गिना जाना चाहिए।"

जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि तदर्थ *आधार पर* प्रदान की जाने वाली सेवा को वरिष्ठता तदर्थ नहीं गिना जाएगा। मसूद अख्तर *खान के मामले (ऊपर)* में पहले व्यक्त किए गए इसी तरह के विचार को पैराग्राफ 6 में दोहराया गया है। यह उच्चतम न्यायालय का नवीनतम निर्णय है जो इस मुद्दे पर कानून की घोषणा *करता* है, जिसका हमें पालन करना होगा। यह अनुपात नियमों के नियम 11 की व्याख्या पर स्पष्ट रूप से लागू होता *है। इसलिए,* हमारी *राय है कि एस.* के. शर्मा के मामले (ऊपर) में अनुपात इस मामले के लिए उपयुक्त है।

(5) हालाँकि, हमारा ध्यान 1991 के सी. डब्ल्यू. पी. एन. 8063 में उस निर्णय की ओर आकर्षित किया गया था, जो 2 सितंबर 1991 को इस न्यायालय की एक अन्य द्वि-न्यायपीठ द्वारा दिया गया था, जिसमें एक-श्री सतपाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (जवाहर लाल गुप्ता, जे.)तदर्थ सेवा को ध्यान में रखकर वरिष्ठता निर्धारित करने का निर्देश। हम उक्त निर्णय से गुजर चुके हैं। नियमों का नियम 11, जो वरिष्ठता के निर्धारण का प्रावधान करता है और जो सशक्त रूप से प्रदान करता है कि चयन बोर्ड द्वारा व्यवस्थित रैंकिंग में कोई बाधा नहीं आएगी, को खण्ड पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नियम 11 पर विचार या व्याख्या नहीं की गई है। यह निर्णय याचिकाकर्ताओं के लिए कोई सहायक नहीं है। इसके अलावा, खण्ड पीठ का निर्णय एस. के. शर्मा के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है, न केवल नियमों के नियम 11 को देखते हुए, बल्कि एस. के. शर्मा के मामले (उपरोक्त) में बाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपात को देखते हुए भी खण्ड पीठ के फैसले का पालन करना हमारे लिए अपरिहार्य है। इसलिए, उपरोक्त कारणों से, हम नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देते हैं:—

> "सिविल सेवा में कैडर में अपनी नियमित *नियुक्ति से* पहले किसी व्यक्ति द्वारा तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को वरिष्ठता तदर्थ नहीं गिना जाता है।"

7. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम इस सवाल पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं कि *क्या विज्ञापन* है। छुट्टी, वेतन वृद्धि और पेंशन के लिए अस्थायी सेवा मायने रखती है। हमारा जवाब केवल तदर्थ सेवा तदर्थ *गिनती और* वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में है। जहां तक वेतन, पेंशन या वेतन वृद्धि के निर्धारण का संबंध है, याचिकाकर्ता को एक विशिष्ट मांग करने की स्वतंत्रता होगी, यदि उसे पहले ही राहत नहीं दी गई है। यदि

उक्त शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है तो वह इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होगा। यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरुग्राम, हरियाणा ।